समता फ़ैसला

(SAMTA JUDGEMENT)

संक्षिप्त परिचय एवं कुछ मुख्य घटनाएँ

उच्चतम न्यायालय का एक युग प्रवर्तक फ़ैसला

आदिवासियों को उनके मूल अधिकार वापिस

(समता बनाम आ.प्र. राज्य व अन्य)

समता

हैदराबाद

अक्टूबर, २००२

विषय सूची

१-	प्रस्तावना / परिचय	१
२	अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों से पूछिए	६
३	समता फैसले की कुछ मुख्य विशेषताएँ	७
४	फैसले के बाद की घटनाएँ	८
५	फैसले से उद्घृत कुछ विशेष अनुच्छदों की ब्याख्या	११

समर्पित :

अनंतगिरी के आदिवासियों को

जिन्हें अभी और लंबे संघर्ष पर चलना है..

परिचय

हमारी कहानी

एक छोटे से सामाजिक कार्यकारी बर्ग को जो आदिवासियों के मूल अधिकारों के लिए संघर्षरत है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई प्रकार के रास्तों का चुनाव करना पड़ता है। यह एक बहुत ही कठिन कार्य है, जिसमें जन आंदोलन को विवेकपूर्ण राजनैतिक निर्णय के द्वारा, अनेकों विधि संगत युक्तियों के साथ न्याय प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। एक छोटे मूलभूत सामाजिक कार्यकारी वर्ग के रूप मे हमारा अनुभव हमें एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया से गुजारता हुआ तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरीय तटीय आदिवासियों की छोटी-छोटी कठिनाइयों से उबारता हुआ अति विशाल विषयों की ओर खींच कर ले गया। जिसमे पर्यावरण संबंधी कठिन विषयों तथा मानव अधिकार की सुरक्षा भी सम्मलित थे।

आंध्र प्रदेश का उत्तरीय तटीय क्षेत्र बहुत बड़े जंगलों से घिरा है। जहां के अधिकतम आदिवासी लोगों की जीविका कृषि एवं वन से प्राप्त उत्पादों पर आधारित है। निरक्षरता, कुस्वास्थ्य, कानून के प्रति अनभिज्ञता, सामाजिक एवं आर्थिक शोषण तथा मूलभूत सुविधाओ का अभाव उनकी मुख्य समस्याएँ है। इन्ही कारणों से आदिवासी लोग अपनी जमीन तथा अन्य संसाधनों से अनभिज्ञ है। इस प्रकार के शोषण के चलते समता का मुख्य उद्देश्य इन आदिवासी समुदाय को जोड़ना तथा जागृत करना था। जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य तथा अन्य जतियों द्वारा किए गए शोषण से बच सकें।

आंध्र प्रदेश का यह अनुसूचित कार्यकारी क्षेत्र भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है। जहां आदिवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ आदिवासियों की भूमि का अन्य जाति को हस्तांतरण करना निषिद्ध है। परंतु कानून होने के बावजूद आंध्र प्रदेश मे अन्य जातियों द्वारा भूमि का अतिक्रमण व अधिग्रहण रुका नही है।

आदिवासियों की भूमि को अन्य जातियों तथा ऋण कर दाताओ से मुक्त कराने का संघर्ष समता तथा आदिवासियों द्वारा लोकतंत्रीय परम्पराओ के अंतर्गत धरनों तथा अन्य साहसिक कार्यों द्वारा किया गया है। कई बार आदिवासियों को छुड़ाने के लिए समता को न्यायलय का दरवाजा खटखटाना पड़ा अथवा राज्य को अनुसूचित क्षेत्र कानून लागू करने की मांग को दोहराया गया। इस प्रकार स्थानीय विषयों मे घिरे रहने के बावजूद समता न चाहते हुये भी राष्ट्रीय तथा विश्वीय झमलों मे लपेटी गई।

विशाखा ज़िला, अनेक खनिजों जैसे कैलसाइट, बाक्साइट, लाइमस्टोन, माइका इत्यादि से सम्पन्न है। किन्तु अनंतगिरी मण्डल के आदिवासी खनन उद्योग की शक्तिशाली व्यापारिक समाकक्षों (लांबीस) से पीड़ित थे। छोटी-छोटी निज़ी कंपनियाँ आदिवासी भूमि का अधिग्रहण कर, उन्ही को मजदूर बनाकर खनन कार्य कर रही थी।

बोरा पंचायत के आदिवासी जो सदियों से इन पहाड़ियों का प्रयोग कर रहे थे। उनको उन्ही की जमीन से बेदखल कर दिया गया। (बोरा की गुफाएँ जिनका संबंध पूर्व ऐतिहासिक काल से है, पूरे विश्व मे अपनी स्टैल्कलाइट व स्टैल्ग्माइट भूगरभीय रचना के लिए प्रसिद्ध है।)

दूसरी ओर खनन कंपनिओ को १९६० से आदिवासी तथा वन भूमि को पट्टे (लीज़) पर दिया गया। बोरा के आदिवासियों ने समता से स्वत्व अधिकार पत्र (TITLE DEED) के लिए सहायता की मांग की। शुरू मे समता ने इसे भूमि हस्तांतरण का ही एक मामला समझा परंतु जब सारे मामले को स्थानीय व ज़िला स्तरीय अधिकारिओ के समक्ष रखा गया तो उन्होने अपनी मजबूरी जाहिर की और मामले के हल के लिए सरकार के खिलाफ न्यायालय मे जानने का सुझाव दिया।

इस प्रकार हमने भी यह महसूस किया कि यह संघर्ष मात्र अन्य जाति विशेष के विरुद्ध न होकर राज्य के खिलाफ ही करना होगा।

सबसे बड़ी निज़ी कंपनी के रूप मे प्रथम प्रयास बिरला पेरिकलास का था जो इंडियन रेयन इंडस्ट्रीज की ही एक कंपनी है। कंपनी को पहले १२० एकड़ भूमि का पट्टा एक छोटे से सुदूर गाँव, निम्मलपाडू मे दिया गया जहां कैल्साइट का

शोषण करना था जो अनेक भीमली के पास सीवाटर मैग्नीशिया प्लांट के लिए प्रमुख कच्चे सामान के रूप मे प्रयोग आना था।

समता ने सर्वप्रथम मीडिया की मदद ली तथा तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से खनन साबंधी जानकारी को प्राप्त किया है। ताकि आदिवासियों की कठिनाइयों को उजागर किया जा सके। मीडिया द्वारा अधिक से अधिक प्रसारित लेखों के बावजूद सरकार की बेरुखी ने हमें समस्या से जूझने के लिए कुछ अन्य उपायों को खोजने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार हमने पाया कि पट्टों का स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र मे भूमि संबंधी अध्यादेशों (१९७० का एलटीआर कानून) के विपरीत था तथा हमने इन पट्टों के बारे मे प्रश्न उठाया। एक बड़े और मजबूत जन आंदोलन को बनाने के साथ-साथ समता ने कानून लड़ाई के रूप मे सरकार से अनुसूचित क्षेत्रों से खनन लीज़ का निज़ी कंपनियों को देने के अधिकार को चुनौती दी क्योकि यह पट्टे आदिवासी भूमि को अन्य जाति के लोगों द्वारा हस्तांतरण करने का मामला था।

१९९३ मे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय मे एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमे सरकार को एक व्यक्ति के रूप मे प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार सरकार को अनुसूचित क्षेत्र से किसी अन्य जाति अथवा कंपनी को भूमि पट्टा देने के अधिकार नही है।

इस प्रकार पहली बार स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया जिसके फलस्वरूप बोरा पंचायत के आदिवासी लोगों ने अपनी भूमि पर खेती की।

यहाँ इस बात को समझना अति आवश्यक है कि समता की किस प्रकार से राजनैतिक परिवेश के एक आदिवासी अधिकार संस्था के रूप मे कार्य करना पड रहा था। आंध्र प्रदेश मे एजेंसी क्षेत्र बहुत ही दंगाग्रस्त और संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर वामपंथी ताकतों जैसे पीपुल्स वार ग्रुप की गतिविधियों का अधिकार है। पुलिस और इन संगठनो के बीच गोलीबारी और तनातनी का वातावरण सदा ही बना रहता है। जिसके फलस्वरूप दोनों मे ही इस प्रकार से लोगों को जोड़ने और उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद करना उसमे एक संदेह उत्पन्न करता है। मुसीबत तो यह कि दोनों ही हमसे इस लिए अत्यंत

नाराज़ रहते, क्योंकि उनके अनुसार हम उनके अधिकार क्षेत्र मे प्रवेश करते है। यही कारण है कि समता को दोनों वर्गों से पिछले कई सालों से एक प्राथमिक मूलभूत सामाजिक कार्यकारी के रूप मे ज़ोर-जबर्दस्ती भरा और शत्रुतापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रकार के राजनैतिक वातावरण मे समता के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह राज्य सरकार से संविधान के अनुकूल उचित कानूनी कार्यवाही की मांग करे। यदपि खनन संघर्ष के दौरान कई बार हमें असंवैधानिक व नाजायज (गलत) तरीकों से सरकार एवं उग्रवादियों द्वारा उत्पीड़ित किया गया। कभी-कभी हमारे घरों और कार्यालयों पर छापे मारे गए। हमारे कार्यकर्ताओ को गलत तरीके से हिरासत मे रखा गया। जब कभी वो गाँव मे लोगों को संगठित करने जाते अथवा यह देखने कि न्यायालय द्वारा दिये गए आदेशों का पालन किया जा रहा है या नही तो पुलिस द्वारा उनको कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। परंतु सत्य तो यह है कि हमारी परस्पर शक्ति व संघर्ष के प्रति पूर्ण विश्वास ने हमे और आदिवासियों को ऐसे कठिन समय मे धैर्य प्रदान किया।

१९९५ मे स्थगन आदेश को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने मुकदमे को रद्द कर दिया। अब हमें दिल्ली की ओर भागना पड़ा ताकि कानूनी लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए। एक अंजान व्यक्ति के रूप मे यह एक अत्यंत कस्टप्रद और अनूठा प्रयास था जिसमे गाँव की समस्या को उच्चतम न्यायालय में ले जाना था और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार करना था। ऐसे मे कुछ हितैषी और अन्य अधिकारी वर्ग तथा मित्रों ने हर प्रकार से आश्वस्त किया एवं उच्चतम न्यायालय में वकीलों और उचित कानूनी सलाह के लिए सहायता की।

एक उच्च वकील द्वारा जो आदिवासियों की ओर से लड़ रहा था एक विशेष याचना पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसके बिना हम यह जंग जीतने की कल्पना ही नही कर सकते थे। जुलाई १९९७ मे हमे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगणों द्वारा एक युग प्रवर्तक फ़ैसला

सुनाया गया जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के खनन (लीज़) का दिया जाना भूमि हस्तांतरण अधिनियम के विरुद्ध घोषित किया गया। फलस्वरूप इसे रद्द करार दिया गया। इस फैसले की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्न है-

१- सरकारी भूमि, वन भूमि तथा आदिवासी भूमि जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसे किसी अन्य जाति या कंपनी को लीज़ पर नही दिया जा सकता है।

२- वह मामला जो बोरा पंचायत मे वन संरक्षित क्षेत्र मे भूब्यवस्था के न सुलझने से प्रारम्भ हुआ उसके प्रति बेंच ने यह आदेश दिया कि राज्य सरकार को तुरंत इसका स्वत्व अधिकार-पत्र (टाइटलडीड) उन आदिवासियों को जिनके पास यह जमीन है, दे दिया जाना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को उस जमीन पर जिस पर आदिवासी का अधिकार है, खनन लीज़ का अधिकार नही है।

३- सरकार संविधान के ५वी धारा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र मे पड़ने वाली भूमि को खनन के लिए पट्टे पर नही दे सकती क्योकि इससे धारा पर अतिक्रमण होता है।

४- खनन कार्य केवल आंध्र प्रदेश राज्य मिनिरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन अथवा आदिवासी सहकारी समिति के द्वारा ही किया जा सकता है तथा इसके लिए भी उन्हे वन संरक्षण कानून व पर्यावरण संरक्षण क़ानूनों को पूर्ण रूप से मानना होगा।

५- न्यायालय ने ७३वां संविधान संशोधन कानून तथा आंध्र प्रदेश पंचायतराज (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) को मान्यता प्रदान करते हुये ग्राम सभाओं को सामुदायिक संसाधनों को संभालने के योग्य करार दिया तथा आदिवासी लोगों को स्वयं के निर्णय के आधार पर अधिकार को बल दिया।

६- न्यायालय ने अपना विचार प्रकट करते हुये कहा कि यदि आवश्यक हो तो, आंध्र प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव एक कमेटी का गठन कर सकता है, जिसमे वह स्वयं, सचिव (उद्योग), सचिव (वन) तथा सचिव (सामाजिक न्याय) सहित सत्य सूचनाओं को एकत्र कर ऐसा फ़ैसला करे कि क्या उद्योग द्वारा खनन क्रियायों का करना

संभव व उचित होगा और यदि कमेटी ऐसा सोचती है तो वह इसे कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष रख सकती है। जिसमें उद्योग मंत्री, वन तथा आदिवासी कल्याण मंत्री यह जांच करें कि क्या लाइसेंस जारी रख सकते हैं अथवा आगे के लिए खनन प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए।

७- ऐसे मामले मे जहाँ इस प्रकार के कानून अन्य राज्यों मे भी प्रचलित हैं और वह भी अनुसूचित क्षेत्रों मे स्थित खनन कार्यों पर लीज को पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाते, वहाँ इसी प्रकार की सचिव कमेटियाँ तथा राज्य कैबिनेट सब कमेटी' का निर्माण कर फिर से निर्णय ले सकते हैं। परन्तु लीज़ देने से पूर्व राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक सब कमेटी द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करे जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा होनी चाहिए।

८- न्यायालय ने यह भी महसूस किया कि ऐसा उचित होगा यदि मुख्य मंत्रियों तथा इससे जुड़े केन्द्रीय मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए जिसमे सम्पूर्ण देश के लिए आदिवासी भूमि तथा खनिज संसाधन शोषण पर एक स्थिर तथा योग्य नीति की व्यवस्था होनी चाहिए।

९- फलस्वरूप, न्यायालय ने राज्य सरकार को खनन कार्यों से जुड़े उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया।

१०- न्यायालय ने ऐसा मत प्रकट किया कि अधिकारी (राज्य) के लिए यह आवश्यक है कि वह आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करे। जब राज्य अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को अन्य जातियों तथा उद्योगों को खनिज संसाधनो का शोषण करने के लिए लीज़ पर दे देता है तो इसके साथ ही उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यताओं को भी सौप देता है जो इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने का कार्य हाथ मे लेते है। न्यायालय ने आज्ञा दी कि कुल शुद्ध लाभ का २० प्रतिशत एक स्थायी कोष औद्योगिक/व्यवसायिक कार्य कलापों के रूप मे अलग से रख लेना चाहिए जिसे वह जल संसाधनो के रखरखाव,

विद्यालयों, अस्पतालों, सफाई कार्यों तथा परिवहन व सड़क निर्माण इत्यादि कर सके। इस २० प्रतिशत विभाजन मे दुबारा जंगल लगाना तथा पर्यावरण संभारण का खर्च शामिल नही होगा।

यह कानूनी जीत आदिवासियों के लोकतान्त्रिक क्षेत्र व उनके अधिकारों के प्रति महान पुनर्विस्वास की प्रतीक थी। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में की जाने वाले खनन प्रक्रियाएं एक दम बंद कर दी गयी और कंपनियों को अपना कार्य बंद करने के आदेश दिये गए। आदिवासी फिर से अपनी भूमि पर लौट आए तथा खेती का कार्य करने लगे। इस आदेश के बाद अब वे अपने ज़िंदगी पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ जी रहे है। जो भी हो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया यह फैसला अंतिम फैसला नही है और न ही यह न्याय के प्रति संघर्ष का अन्त है। इस फैसले ने सरकार व विभिन्न राजनैतिक दलों मे बेचैनी का वातावरण तथा शत्रुता की अग्नि प्रज्वलित की है। अदालत के फैसले के तुरंत बाद वामपंथियों की ओर से समता को एक राजनैतिक झटका दिया गया। हमें राज्य को पीछे धकेलने वाला एक शत्रु बताया गया तथा यह भ्रम भी फैलाया गया कि हम लोगों को राज्य के खिलाफ भड़का रहे है। इन्हीं कारणो से समता को आदिवासी क्षेत्रों से भागना पड़ा तथा अपने सामाजिक कार्यों को बीच मे ही छोड़ना पड़ा, जिसमे खनन के विरुद्ध अभियान भी शामिल है।

राज्य ने अपनी ओर से कुछ नया करने का प्रयास शुरू किया है। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से फैसले मे संसोधन करने की अपील उच्चतम न्यायालय मे की गयी है तथा निजी कंपनियों को लीज़ देने के अधिकार को फिर से देने का अनुरोध भी किया गया है। यह खुशी की बात है कि पिछले तीन वर्ष से इस प्रकार के अनुरोधों को उच्चतम न्यायलय मे न सिर्फ ठुकरा दिया है बल्कि इन्हे केवल आंध्र प्रदेश मे ही नही, बल्कि अन्य आठ राज्यों मे भी जहां अनुसूचित क्षेत्र है, वस्तु स्थिति को बनाए रखने का आदेश भी दिया है। इस संदर्भ मे आंध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य द्वारा न्यायालय आदेश मे संवर्धन व रोक की अर्जी को जो उन्होने समता के खिलाफ सिविल अपील सं ४६०१-४६०२/१९९७ को दी थी, उसे न्यायालय ने ०६-०३-२००० को खारिज कर दिया है।

राज्य द्वारा इस प्रकार के प्रयत्नो का सीधा सा मतलब यह है कि उसमे समाज के प्रति न्याय दिलाने की राजनैतिक इच्छा की कमी है अथवा एक दूरदर्शिता पूर्ण समान आर्थिक योजना का अभाव है। हम यह महसूस करते है कि हमारी जैसी मूलभूत संस्था के लिए सामाजिक न्याय को कानूनी प्रक्रिया द्वारा पाने मे गंभीर मर्यादाएं हैं। भारत की आर्थिक नीति का बहुराष्ट्रीय उद्योगों के प्रति झुकाव तथा अपने सुदूर क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनो का आर्थिक शोषण करने के लिए औद्योगिक लाबीस द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों मे अपना प्रभाव बनाने तथा फायदे के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे है जिसमे कानून मे संसोधन करना भी शामिल है। जैसा कि निम्म्लापाडू मे एक बुजुर्ग ने सीधे से शब्दों मे कहा कि कंपनियाँ एक बंदर की तरह है जो हमारी जमीन पर बार-बार हमला करती रहेंगी और यह एक जीवन पर्यन्त की लड़ाई है जिसमे हमें अपनी भूमि और उपज को बचाए रखना है।

और इस प्रकार लोगों का संघर्ष जारी है...

समता

अप्रैल, २०००

५वीं अनुसूची क्षेत्रों के आदिवासियों से पूछिये कि वे क्या चाहते है?

भारत की उच्चतम न्यायालय का १९९७ का फैसला २०वीं शताब्दी का एक अद्भुत व अपने मे अनूठा फैसला है। जिसकी तुलना आस्ट्रेलिया की उच्च न्यायालय द्वारा दिये 'माबो केस' के साथ की जा सकती है। जिसके अनुसार सम्पूर्ण भूमि जो आदिवासियों तथा उनके पूर्वजो की है, उसका गोरे उपनिवेशों द्वारा दुरुपयोग किया गया। इस भूमि को पुनः उन्ही आदिवासियों को वापिस कर दिया जाना चाहिए। समता फैसले ने भारतीय संविधान की ५वीं व छठी धारा मे एक नई जान फूक दी है।

इसने स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी जमीन आदिवासियों के लिए ही है तथा जिसमे अन्य किसी औद्योगिक निगम का कोई हस्तक्षेप नही है। यह

दुखकरक विषय है कि स्वतंत्र भारत मे इस फैसले की प्रशंसा न करते हुये तथा दिशा निर्देशों की पालन करने का आदेश न देकर उसे एक बेकार और बेहूदा बताया गया तथा उच्चतम न्यायालय व संसद से इसको बदलने की मांग की गई। श्री राजीव धवन द्वारा 'दि हिन्दू' मे ९ मार्च, २००१ का लेख एक अनूठा फैसला व माबों केस

समता फैसले की कुछ मुख्य विशेषताएँ

('अपटेड कलेक्टिव' १३२ वें अंक से संकलित)

.... ९४. ७३वें संशोधन कानून, १९९२ के अंतर्गत ...' प्रत्येक ग्राम सभा सुरक्षा के लिए सक्षम होगी.... कानून की धारा (m)

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों मे भूमि हस्तांतरण को रोकने का अधिकार तथा किसी अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के भूमि संबंधी गैर कानूनी हस्तांतरण पर आधिकारिक पूर्वावस्था तथा उचित क्रिया अथवा आदेश।"

११०. खनिजों का उत्खनन अथवा शोषण स्वयं आदिवासियों द्वारा स्वतंत्र रूप मे या सहकारी संस्था बनाकर जिसे राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

११२. पूर्ण निषेध की अवस्था मे न्यायालय द्वारा लीज़ लेने वाले के लिए परियोजना खर्च के भाग से कुछ विशेष कर्तव्य तथा नैतिक बंधन बनाए गए है।

११४. शुद्ध लाभ का भाग कम से कम २०%, स्थायी कोष के रूप मे सुधार कार्यों के लिए रखा जाना चाहिए जिसमे दुबारा जंगल लगाना तथा पर्यावरण संतुलन कार्यों पर खर्च शामिल नही होगा।

११५. अनुसूचित क्षेत्रों मे लीज़ द्वारा अन्य जाति के लोगों को हस्तांतरण की मनाही होगी।

११६. लीज़ का नवीनीकरण अथवा नई लीज़ को देना अथवा हस्तांतरण की मनाही होगी।

११७. खनन लीज़ का किसी अन्य को, कंपनी को, कार्पोरेसन समूह अथवा साझीदारी फर्म इत्यादि असंवैधानिक, अकार्यसाधक व निरर्थक मानी जाय। राज्य द्वारा चलाई गई खनन प्रक्रियाएं जैसे आंध्र प्रदेश खा. उ. का. इसमे शामिल नही होगी।

१२९. कुछ राज्यों मे पूर्ण निषेध की अवस्था मे ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सचिव कमेटी और राज्य कैबिनेट सब कमेटी का गठन करना चाहिए और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाय।

१३१. आदिवासियों की भूमि के बारे मे सभी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाय, जिसमे उस मंत्रालय विशेष के मंत्री, प्रधानमंत्री तथा संबंध केन्द्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया जाए जो सम्पूर्ण देश के लिए एक स्थिर नीति का निर्धारण करें।

इस सब का मतलब यह है कि....

(अ) अनुसूचित क्षेत्रों मे आदिवासी लोगों को भूमि को खनन लीज़ देने का सरकार को अधिकार प्राप्त नही है।

(आ) सरकारी भूमि, वन भूमि तथा आदिवासी भूमि जो अनुसूचित क्षेत्र मे स्थित है, उसे अन्य किसी जाति या निजी उद्योग को लीज़ देने का अधिकार नही है।

(इ) सरकार अनुसूचित क्षेत्र मे स्थित किसी भूमि को खनन कार्य के लिए लीज़ अन्य जाति को नही दे सकती क्योकि इससे संविधान की पाँचवी सूची का अतिक्रमण होता है।

(ई) अनुसूचित क्षेत्र मे खनन का कार्य राज्य मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेसन द्वारा किया जा सकता है और ओ भी जब वन संरक्षण कानून तथा पर्यावरण सुरक्षित कानून के अनुसार हो।

(उ) न्यायालय मे ७३वां संविधान संशोधन कानून तथा आंध्र प्रदेश पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कानून यह कहते हुये स्वीकार किया कि ग्राम सभा सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने मे सक्षम है। इसलिए

आदिवासियों को स्वयं की सरकार का अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ऊ) यदि आवश्यक हो तो, न्यायालय का ऐसा मानना था कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को एक कमेटी का गठन करना चाहिए जिसमे वह स्वयं एक सदस्य हो तथा सचिव उद्योग, वन एवं समाज सुधार सहित सत्य सूचनाओं को एकत्रित कर यह पता लगाए कि उद्योगों (इंडस्ट्री) के लिए खनन करना संभव है अथवा नहीं। यदि कमेटी ऐसा सोचती है तो यह मामला केबिनेट सब कमेटी को भेज सकती है। जिसमे औद्योगिक मंत्री, वन एवं आदिवासी उन्नति मंत्री यह फैसला करे कि इस प्रकार से लाइसेन्स दिये जा सकते है अथवा नही।

(ऋ) न्यायालय ने ऐसा मत भी प्रकट किया कि उचित होगा यदि मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन बुलाया जाए जिसमे इससे जुड़े अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर सम्पूर्ण देश के लिए आदिवासियों की भूमि तथा खनिज संसाधनो के शोषण के लिए एक स्थिर व योग्य नीति की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ऌ) न्यायालय ने ऐसा मत दिया कि शासन के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करे। जब राज्य अनुसूचित क्षेत्र की भूमि को अन्य जातियों तथा उद्योगों को खनिज संसाधनों का शोषण करने के लिए लीज़ पर देता है तो इसके साथ ही वह उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यताओं को भी उन्हें सौप देता है जो इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने का कार्य अपने हाथ मे लेता है। इसलिए न्यायालय मे यह आज्ञा दी कि कुल शुद्ध लाभ का 20% एक स्थायी कोष के रूप मे रखा जाना चाहिए, जिसे जल संसाधनों के रख रखाव, विद्यालयों, अस्पतालों, सफाई कार्यों तथा परिवहन व सड़क निर्माण इत्यादि मे प्रयोग कर सकें। इस 20% विभाजन मे फिर से जंगल रोपित करना तथा पर्यावरण संभारण का खर्च शामिल नही होगा।

फैसले के बाद मे होने वाली घटनाएँ:

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम यह स्पष्ट करते है कि सरकार को कंपनियों के बारे मे आदिवासी समुदाय से अधिक चिंता है।

मार्च, ६, २००० : उच्चतम न्यायालय ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा समता फैसले की अर्जी को नामंज़ूर कर दिया जिसमे उन्होने इसमे संशोधन की मांग की गई।

मई, २००० : आंध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासी सलाह समिति को भूमि हस्तांतरण अध्यादेश मे संशोधन करने की मांग की।

जुलाई, १०, २००० : भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने एक गुप्त प्रारूप (निर्देश : १६/४८/९७ - एम.वी.आई. एम. सिक्स) सचिव समिति को भेजा जिसमे ५वीं धारा मे संशोधन की मांग की गई जिसमे समता फैसले की अवहेलना कर आदिवासी भूमि को लीज़ पर दिया जा सके।

अगस्त, २००० : लोकप्रिय धरनों तथा विरोध के कारण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित संशोधन को वापिस लेने की घोषणा की।

सितंबर, २१, २००० : मनोज मित्र द्वारा 'इंडियन एक्स्प्रेस' के संपादकीय पृष्ठ के एक लेख मे खान मंत्रालय द्वारा दिये गए गुप्त प्रारूप विस्थापन कोई विषय नही' का भंडाफोड़ किया।

सितंबर, २४, २००० : पुनः बड़े स्तर पर विरोध के कारण विशाखापत्तनम ज़िले के आदिवासी क्षेत्र मे आने वाले बाक्साइट खनन के बारे मे मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र मे संभावित परियोजना को स्थगित किया गया है।

सितंबर, २०, २००० : प्राकृतिक संसाधनों पर 'लोगों का नियंत्रण' के झंडे के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के आंदोलन को प्रारम्भ होते देख एक कार्यकारी चौकसी का गुप्त संदेश सब स्थानों पर प्रसारित किया गया।

दिसंबर, २००० : भारतीय सामाजिक संस्थान मे भूमि अधिग्रहण कानून पर ५वीं धारा के अंतर्गत विस्थापन योजना पर एक राष्ट्रिय परामर्श किया गया जिसमे विभिन्न राजनैतिक दलों ने अपने प्रतिनिधि भेजे।

जनवरी, २००१ तक : राष्ट्रिय तथा स्थानीय मीडिया मे इसका अधिक से अधिक प्रचलन किया गया। बहुत से लोगों और वर्गों मे पक्ष से जुड़े मंत्रीगण तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसके बारे मे लिखा।

जनवरी २६, २००१ : भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अपने गणतन्त्र दिवस भाषण मे साफ शब्दों मे संविधान की ५वीं धारा मे परिवर्तन करने वालों के विरुद्ध कहा कि, ... आने वाली पीढ़ियों को यह कहने का मौका नही मिलना चाहिए कि भारत का गणतन्त्र हरी भरी पृथ्वी तथा भोले-भाले आदिवासियों को नष्ट कर बनाया गया है। (टाइम्स ऑफ इंडिया, फरवरी, २४, २००१ से उद्धत)

फरवरी, २००१ : बाल्को की प्रक्रिया चल रही थी और उसी समय समता फैसले तथा ५वीं धारा के बीच विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल्को मामले को निबटाने के लिए हड़बड़ी मे स्टर्लाइट तथा केन्द्रीय सरकार को नोटिस जारी कर दिये।

मार्च १५, २००१ : आदिवासियो की भूमि को निजी कंपनियो को लीज़ करने के विवादित मामले मे केन्द्रीय सरकार को खींचा गया और अंत मे मार्च १५ को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा मे अर्जुन सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर मे कहा कि समता फैसले के फलस्वरूप संविधान की ५वीं धारा मे संशोधन के प्रति सरकार के पास कोई विचार नही है।

अप्रैल, २००१ : केन्द्रीय सरकार ने बाल्को से संबन्धित सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय मे अपने आधीन करने को कहा तथा उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया। बहुत दिनों से लटके हुए समता फैसले को पुनः निरक्षण करने का मौका इस बार न्यायालय मे फिर से खुल गया।

मई, ११, २००१ : अरुण शोरी, निवेश मंत्री ने एक कथन मे कहा कि हम समता फैसले का फिर से निरीक्षण करना चाहते है।

इस प्रकार (हिन्दू, ११ मई २००१) सरकार की क्रियाओ से यह स्पष्ट हो गया है कि नीति परिवर्तन का अंदेशा है और ऊपर घटित घटनायें व व्यवस्था जो पिछले कुछ समय से घटी है उन्ही से यह वर्तमान वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय से उद्घृत कुछ विशेष खण्डों की व्याख्या

(खंड ९३, ९४, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, १२९, १३०)

९३. संविधान के (७३वां संशोधन) कानून, १९९२ द्वारा संविधान के खंड क्ष्ज्र का संशोधन किया गया। जिसके अनुसार अपनी सरकार बनाने का नियम जो ग्राम पंचायत स्तर एवं इसके ऊपर लोकतंत्रात्मक मूल्यों के आधार पर अनुछेद ३४३ से ३४३ ज़ैड जी द्वारा प्रस्तावित किया गया। उस एक अभियोजन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 'पंचायत विस्तारण अनुसूचित क्षेत्र' कानून, १९९६ का निर्माण किया गया। कानून के सेक्शन ४ (डी) के अनुसार संविधान के खंड क्ष्ज्र मे जो कुछ भी दिया गया है, ऐसा होते हुए भी प्रत्येक ग्राम सभा सुरक्षा के लिए सक्षम होगी तथा सुरक्षित सामुदायिक संसाधन की सेक्शन ४ की धारा (जे) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रो के छोटे-छोटे जलग्रहित स्थानों को उचित स्तर पर पंचायत को सौप दिये जाने चाहिए।

धारा एम. (iii) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र मे भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए तथा किसी आदिवासी जनजाति के सदस्य की भूमि को गलत तरीके से किए गए हस्तांतरण से मुक्ति दिलाने के लिए व धारा (त्ध)के अंतर्गत गाँव के बाज़ार को संभालने के अधिकार, जिस भी नाम से पुकारा जाय, उन्हे ग्रामसभा को सौप दिए जाने चाहिए। इससे यह संकेत मिलता है कि हस्तांतरण भी सम्मलित है उनके अपने स्व अधिकारों द्वारा तथा उचित कार्य

विधि से उन्ही को वापिस देने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए।

९४. 'व्यक्ति' की व्याख्या करते हुए व्यक्ति को मात्र एक प्राकृतिक अथवा वंशानुगत लिंग पुरुष रूप मे न मानकर एक बड़े व्यवहारिक स्वरूप मे देखा जाए जिसमे एक राज्य को जिसमे मंत्री मंडलीय सरकार हो, उसे भी एक 'व्यक्ति' माना जाए। संविधान के अनुसार सरकार के पास यह अधिकार है कि वह राज्य मे जमीन अधिग्रहण कर सकती है। इसे अपने पास रख सकती है अथवा अन्यत्र बेच सकती है। राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह अनुसूचित क्षेत्र मे शांति बनाए रखे तथा अच्छी सरकार व शासन जनता को प्रदान करे।

संविधान की ५वीं सूची के सेक्शन ३ पैरा ५ (२) बी के भूमि अधिकार के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आदिवासी और गैरआदिवासी के बीच इसका आबंटन कर सकता है तथा अनुसूचित क्षेत्र मे इसका किसी और द्वारा इसका अधिग्रहण रोक सकता है। ५वीं धारा का मुख्य उद्देश्य तथा अधिकार आदिवासियों की अपनी विरासत, स्वायता, संस्कृति, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय के आधार पर शांति बनाए रखना तथा अनुसूचित क्षेत्र को अच्छी सरकार प्राप्त करना है। इस प्रकार से सभी अनुबंधित नियम व अधिनियम उपरोक्त उद्देश्यों को संविधान के अनुसार प्राप्ति के लिए मधुर संबंधमय तथा आदिवासियों की प्रतिष्ठा के अनुकूल होने चाहिए जिससे कि उनकी सत्यनिस्ठा को बनाए रखा जा सके और इस प्रकार एक सम्पूर्ण योजना के अंतर्गत सामूहिक न्याय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पैरा ५ उप पैरा (२) तथा धारा (ए) और (सी) के अनुसार आदिवासी तथा प्राकृतिक अन्य लोगों, जो कि आदिवासी नही है, के बीच भूमि के हस्तांतरण की मनाही है तथा ऋण, करदाताओ को आदिवासियों के शोषण पर भी रोक है। धारा (बी) न केवल आदिवासियों के बीच भूमि को बांटने के कार्य का नियमन करती है, बल्कि सरकार द्वारा अन्य लोगों को भूमि बांटने से भी मना करती है। इसको थोड़े खुले आधार पर देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि नियमन को 'रोक' के रूप मे उस धारा के अंतर्गत माना जा सकता है। इसको इस प्रकार देखने का मतलब यह हुआ कि संविधान का उद्देश्य

अनुसूचित क्षेत्रों मे भूमि आबंटन केवल आदिवासियों को ही किया जा सकता है। पैरा (२) बी यह प्रतिष्ठित करता है कि सामूहिक न्याय सामाजिक - आर्थिक अधिकार को एक सही प्रकार से प्रकट करता है। अगर इसको एक निर्माणीय रचनात्मक दृष्टिकोण मे ले तो किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य संदेह नही रह जाता। 'व्यक्ति' शब्द दोनों प्रकार से अर्थात व्यावहारिक रूप मे प्रयुक्त प्राकृतिक व्यक्ति, न्यायिक व्यक्ति तथा संवैधानिक सरकार के रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है। यह उन्मुक्त एवं खुले स्वरूप की व्याख्या सरकारी भूमि को अनुसूचित क्षेत्र मे आदिवासियो को उनके सामाजिक, आर्थिक न्याय के रूप मे अधिकतम निबंटन के लिए उपलब्ध होगी जिसका प्रस्तावना मे उल्लेख है तथा सूची ३८, ३९ और ४६ आदिवासियों के लिए एक यथार्थता है। इसकी संकुचित व्याख्या संविधान के उद्देश्य को परास्त कर देगी। अतः अब शाब्दिक अर्थ मे हम 'व्यक्ति' के रूप मे सरकार या न्यायिक व्यक्ति निगम अध्यक्ष अथवा इसी प्रकार की अभिव्यक्ति वाले को शामिल समझेंगे। न्यायिक व्यक्ति द्वारा भूमि का हस्तांतरण अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य व्यक्तियों अर्थात जो आदिवासी नही है, उनको भूमि को दिये जाने की मनाही होगी और इस प्रकार हम संविधान की ५वीं अनुसूचित पैरा ५ (२) मे दिये गए उद्देश्यों तथा सेक्शन ३ के कानून अधिकारों को प्राप्त कर सकते है। यदि हम शाब्दिक अर्थ मे 'व्यक्ति' को मात्र प्राकृतिक व्यक्तियों के रूप मे लेंगे तो इससे संविधान के उद्देश्यों को पराजित करेंगे।

इसलिए हम इस मत से सहमत है जिसमे 'व्यक्ति' शब्द से तात्पर्य राज्य सरकार से है तथा राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों से सरकारी भूमि को किसी और जाति तथा अन्यान्य को लीज़ पर देने का अधिकार नही रखती चाहे वो प्राकृतिक अथवा न्यायिक व्यक्ति ही क्यो ही न हो। परंतु केवल आदिवासियों द्वारा निर्मित सहकारी समिति जिसका गठन सेक्शन ३ (१) (अ) के द्वारा दी गई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया हो, को दिया जा सकता है। इसका किसी और प्रकार से मतलब निकालना ५वीं धारा मे राज्यपाल को दिये गए अधिकारों की हार होगी। यदि इस प्रकार से कैबिनट द्वारा गठित सरकार शासन की भूमि को अन्य लोगों मे हस्तांतरित करेगी तो इससे शांति भंग होगी, अनुसूचित क्षेत्र का सुशासन अन्य लोगों के हाथो मे जाने से आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र को बाहर धकेल दिया जाएगा तथा उच्च और

अधिक विकसित अन्य जाति के लोगों का एकाधिकार हो जाएगा जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्र इन्ही के हाथों मे चला जाएगा। और इस प्रकार कानून केवल एक खोखली सूची की तरह रह जाएगा तथा आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं व्यक्ति के रूप मे उनकी अपनी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा।

१०९. संविधान की ५वीं अनुसूची में जनता नीति यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार भी एक व्यक्ति रूप में आती है तथा इसको भी सेक्शन ३ के अधीन अनुसूचित लोगों से सरकारी भूमि को खान खनन अथवा किसी अन्य कारणों से हस्तांतरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। १९६९ के जी. ओ. एम. संख्या ९७१/ रेवेन्यू-बी के अंतर्गत सरकार को किसी अन्य जाति को भूमि देने की मनाही है।

श्री सुधीर चन्द्र ने इस विवाद से कि सरकार को इस अधिसूचना का अधिकार प्राप्त है ऐसा करना सरकार पर लागू नही होता क्योकि बलपूर्वक भूमि देना संविधान की अपनी वचनबद्धता और कार्य नीति के विरुद्ध होगा, जिसमे उसे विना टोक के आगे बताया गया कि सरकार का हस्पताल या बैंक निर्माण के लिए या अन्य इस प्रकार के सामाजिक कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण कर निबंटन करने को न रोकने के दो कारण है।

-१. पहला कि सरकार द्वारा भूमि को किसी अन्य के नाम स्थानांतरण करने मे कोई स्वार्थ नही है। २. अपनी भूमि को स्वयं के नाम स्थांत्रित करने का कानूनी प्रावधान नही है। इसलिए यह कहना कि अधिनियम सरकारी भूमि को अन्य जनहित मे स्थानांतरित की बात कर रहा है, धारणा अयोग्य है। अधिनियम की मूल भावना अनुसूचित क्षेत्र से किसी अन्य जाति के नाम अचल संपत्ति का हस्तांतरण उसके अधिकार, पदनाम पर रोक लगाना है परंतु किसी अन्य जाति के परोपकारी द्वारा आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित क्षेत्र मे उनकी सहकारिता संस्थाओ द्वारा संगठन पर कोई रोक नही है। इसके अतरिक्त यह कहना कि आर्थिक रूप से धनी खनिज संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति के रूप मे बिना अन्वेषण व उत्खनन के नही रखे जा सकते है तथा राष्ट्रिय विकास मे बाधक है सत्यता से दूर है। इन्ही खनिजो का उत्खनन अन्य जातियों द्वारा न कराके जो आदिवासियों के

शोषण से ही ऐसा करते है क्यों न उचित योजना द्वारा बिना जैविक वातावरण व वन सम्पदा को नष्ट किए केवल आदिवासियों द्वारा अथवा उनके द्वारा बनाई सहकारी समितियों द्वारा की जाए, जिसे राज्य सरकार से धन सुविधा भी प्राप्त हो। इस प्रकार करने से आदिवासियों को अपने जीवन स्तर को उठाने व सामाजिक तथा आर्थिक सुधार का मौका दिया जा सकता है जिससे उन्हे अपने स्वयं की प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नत पद स्व-शक्ति व अपनी उत्कृष्टता को उठाने का मौका मिलता है- राज्य विधान सभा मे उत्तरी पूर्वी राज्यों मे खनन क्षेत्रों को देने के लिए एक संस्था बनाने की मांग रखी गई परंतु चुनी गई विधानसभा ने केवल रायल्टी देने के लिए ही मान्यता प्रदान की। बहुत सारे स्थानों मे खनिज संसाधन केवल आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसलिए अधिनियम मे सेक्शन ३ मे प्रयुक्त भाषा के अनुसार हमने मूल से सहायता के प्रति प्रश्न पर विचार किया तथा ५वीं धारा के पैरा ५ (२) (९) (बी) तथा 'व्यक्ति' रूपान्तरण मे राज्य सरकार को भी सम्मिलित किया।

११०. संविधान की पाँचवी व छठी धारा का उद्देश्य जैसा हमने ऊपर देखा है, मात्र अनुसूचित क्षेत्रों मे भूमि को अन्य जातियों द्वारा रोकना, खरीदना, रखना या हस्तांतरण न होकर यह निश्चित करना भी है कि आदिवासी अपनी भूमि का संरक्षण कर आनंदपूर्वक रह सकें तथा एक व्यक्ति के रूप मे पूर्ण मर्यादा तथा सामाजिक अधिकार से आर्थिक उन्नति कर सकें। इसमें कोई संदेह नही है कि खनिज संसाधनों का समान रूप से अन्वेषण कर राष्ट्र को प्रगति पर लाया जा सकता है। एक-दूसरे के अधिकारों को नुकसान पहुचाए बिना अर्थात सरकार व आदिवासियों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून द्वारा अनुसूचित क्षेत्र मे आदिवासियों की भूमि को प्रतिक्रमण, रोकने व बेचने की प्रक्रियाओं पर अन्य जातियों के लिए रोक लगा सकता है। कैबिनट को धारा २९८ के अंतर्गत अपने संवैधानिक अधिकार द्वारा आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए। इसलिए न्यायालय को संविधान की मर्यादा तथा शासकीय नीति के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रो से अन्य जातियों के लिए भूमि हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए।

११२. पूर्ण निषेधना की अनुपस्थिति मे धारा २९८ राज्यपाल को, जो कार्यकारी उच्चपदासीन है उसे भूमि हस्तांतरण का हक देता है क्योकि इस कार्यकारी उच्चासीन को आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक हितों का भी ध्यान रखना है। ऐसे मे यदि राज्य अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को किसी अन्य जाति को लीज़ पर देता है जो कि इसे खनिज सम्पदा के अनवेशण/ उत्खनन मे लगाता है तो इससे यह तात्पर्य है कि वह बदले मे आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक हितों मे सुधारीकरण का भी कार्य करता है। परियोजना के प्रशासकीय वर्ग के अंतर्गत लाइसेन्स धारक या लीजकर्ता को निम्नलिखित मदों पर भी खर्च करना चाहिए -

(अ) अनुसूचित क्षेत्रो मे दुबारा जंगल लगाना तथा जैविक परिवेश को बनाए रखना।

(ब) अनुसूचित क्षेत्रो मे जहाँ तक कंपनी या उद्योग के कार्य क्षेत्र का प्रभाव है उसमे सड़कों के रख-रखाव तथा यातायात सुविधावों का भी ध्यान रखना होगा।

(स) आदिवासियों को पेयजल उपलब्ध करना।

(द) स्कूलों की स्थापना तथा प्राइमरी व सेकंडरी स्तर पर मुक्त शिक्षा तथा आदिवासियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा तथा ट्रेनिंग जिसमे वह काम-धंधे के योग्य, समर्थ तथा विश्वस्त बन सके।

(घ) आदिवासियों को उनकी दक्षता के अनुसार फैक्ट्री मे व्यवसाय प्रदान कर सकें।

(फ) अनुसूचित क्षेत्रो मे आदिवासियों के लिए मुफ़्त इलाज के लिए अस्पताल व कैंपो की स्थापना।

(म) सफाई की व्यवस्था।

(भ) अनुसूचित क्षेत्रो मे आदिवासियों के लिए घरों का निर्माण। इन सब उपरोक्त परियोजनाओं के लिए धनराशि औद्योगिक घरानो/ औद्योगिक अध्यवसाओं द्वारा उनके सालाना बजट से मिलनी चाहिए।

११३. इसके अंतर्गत शुद्ध लाभ का कम से कम २० प्रतिशत औद्योगिक/ व्यावसायिक कार्यकलाप हेतु एक स्थायी कोष के रूप मे अलग से स्थापित किया जाना चाहिए। जिसको पानी के संसाधनो के रखरखाव स्कूल, अस्पताल, सफाई कार्यों तथा परिवहन के लिए सड़क इत्यादि के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए। इस २० प्रतिशत भाग मे पर्यावरण व जैविक वातावरण बनाए रखने व जंगल लगाने का खर्च शामिल नही होगा। यहाँ इस बात का कहने का कोई औचित्य नही है। क्योकि इस सारे धन को आय से मुक्त का आवेदन करना होगा तथा केंद्र सरकार को ऐसी सहायता के लिए छूट प्रदान करनी होगी तथा यह भी देखना होगा कि ये सब कार्य उचित रूप से लगातार हो रहे है। कार्यो तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति/ उद्योग/ लाइसेंसदाता तथा लीज़ प्राप्त करता को अच्छी प्रकार करना चाहिए ताकि आदिवासियों के प्रति संविधान मे किए गए सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधन सहायता देने हेतु शांति स्थापना के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रो मे एक अच्छी सरकार भी प्राप्त की जा सके। हमने अन्य कानूनों का गहराई से निरीक्षण नही किया है, परन्तु जब भी आवश्यकता हो तब इन क़ानूनों तथा इनमे प्रयुक्त भाषा का इस संदर्भ मे निरीक्षण करना होगा। क्या सरकारी भूमि को खनन लीज़ के लिए देना नियम अथवा कानून के बाहर है?

११४. अब प्रश्न यह है कि 'क्या अनुसूचित क्षेत्रो मे स्थित भूमि को खनन लीज़ पर देने की इजाजत कानून के बाहर का बिषय है।' उपरोक्त के लिए वार्तालाप के अनुसार तथा इस निष्कर्ष के साथ कि 'व्यक्ति' मे सरकार भी सम्मलित है, एक प्राकृतिक नतीजा यही निकलता है कि लीज़ द्वारा खनन का कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (जो आदिवासी नही है) ५वीं सूची के पैरा ५(२) (बी) व अधिनियम के सेक्शन ३ के संदर्भ मे वर्जित है। यह अभिलेख से उपलब्ध है कि अन्य जाति के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने खनन लीज़ के फ़ायदों को अन्य प्रतिवादी कंपनियों को स्थांतरित किया है। इसलिए सरकार को औद्योगिक कम्पनियों इत्यादि को खनन लीज़ की मनाही दी जाती है, एक माध्यम के रूप को छोडकर।

११५. लीज़, जो कि भूमि मे एक फायदे को स्थानांतरण है अथवा एक ऐसा अधिकार जो इस स्वामित्व को जीविका के दौरान उपयोग किया जा सकता है,

उसे स्थानांतरित करने की मनाही है। यह कानून की पूर्व मानना है कि इस न्यायालय के कई फैसलों के अनुरूप लीज़ का नवीनीकरण असल मे लीज़ की अनुमति देना है यद्पि इसे नवीनीकरण की संज्ञा दी जाती है क्योकि यह पहले से प्राप्त लीज़ को स्वयं सिद्ध करती है। अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि पहले कुछ प्रतिवादी कंपनियों ने ब्यक्तिगत लीजकर्ताओं से खनन लीज़ को अपने नाम पर स्थानांतरित करवाया है। इस न्यायालय ने विक्टोरियन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लि. बनाम पी. रामाराव मामले मे व्यक्तिगत रूप मे खनन लीज़ को कंपनी के नाम स्थानांतरित करने को गलत करार दिया क्योकि इससे संविधान की अनुसूची ३९ (बी) का उलंघन होता है तथा इससे राज्य के बहुविधि सामाजिक उद्देश्यों का हनन होता है एवं सामाजिक न्याय द्वारा उन्हे अपने सामाजिक-आर्थिक दशा को बदलने तथा अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के उद्देश्यों की क्षति होती है। अतः लीज़ का स्थानांतरण या खनन लीज़ का किसी और के नाम पर नवीनीकरण रद्द माना जाए, क्योकि इससे संवैधानिक तथा कानूनी उद्देश्यों की पूर्ति नही होती।

११६. एक मामले मे ऐसा भी देखा गया कि स्थानांतरण एक राज्य सरकार के माध्यम अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य खनन विभाग के पक्ष मे किया गया। यह पहले माना गया है कि सरकारी भूमि का स्थानांतरण अपने ही किसी अन्य माध्यम के रूप मे कानून की दृष्टि से एक स्थानांतरण नही है बल्कि जनहित कार्य के लिए इसकी संपत्ति का सौंपना है। यह भी सत्य है कि एक सार्वजनिक कार्पोरेसन जनहित मे कार्य करती है न कि स्वयं के फायदे के लिए। इसलिए इस प्रकार के हस्तांतरण ५वीं सूची के अधीन पैरा ५ (२) (बी) तथा अधिनियम के सेक्शन ३ (१) (९) के अनुसार इसमे शामिल नही है। इसलिए इस प्रकार की लीज का स्थानांतरण स्थापित माना जाएगा। परंतु किसी खनन लीज़ का किसी अन्य ब्यक्ति, कंपनी, कार्पोरेसन समूह अथवा साझेदारी फर्म इत्यादि को स्थानांतरण अवैध, रद्द तथा अकार्यशील माना जाए।

११७. आंध्र प्रदेश राज्य खनन विभाग को वन (संरक्षण) नियम १९८०, इ.पी. कानून इत्यादि के अनुरूप ही खनन अन्वेषण व उत्खनन करना चाहिए।

(संलग्न - क्या सरकार के पास भूमि को खनन कार्यों के लिए देने का अधिकार है।)

११८. यह एक सत्य वस्तुस्थिति है कि पाँच संलग्नक, जिसमे ४२६ एकड़ भूमि है, उन गाँवों के आदिवासियों के अधिपत्य मे थी। इसका पुनः सर्वेक्षण राजस्व, वन तथा खान विभागों द्वारा १९९० मे शुरू किया गया तथा इसकी रपट २-८-१९९० को दी गई। यदपि ५ संलग्नों के ९८ गाँव बोर्रा वन सुरक्षित कानून के रूप मे जोओएम सं. २९९७ एफ व ए दिनाँक ३१-१०-१९६६ मे अधिसूचित किए गए थे परन्तु इन्हे वन संरक्षण क्षेत्र के बाहर दिखाया गया। इसलिए इन संलग्नों को जहां आदिवासी खेती कर रहे थे, वे उनकी पट्टा भूमि है तथा वे संबन्धित अधिकारी से पट्टा लेने के अधिकार रखते है। प्रतिवादियों की ओर से यह भी माना जा रहा है कि सरकार के पास इन संलग्नों (बाड़ों) के अंदर की भूमि खान लीज़ के लिए देने का अधिकार प्राप्त नही है। क्या ये लीज़ एफ.सी. कानून या इ.पी. कानून की अवमानना है?

१२९. किसी भी लीज़ को स्वीकृत करने से पहले राज्य सरकार के लिए यह कानूनन आवश्यक होगा कि वह केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करे, जिसके लिए केंद्र सरकार एक उप-समिति बनाए जिसमे प्रधानमंत्री, केन्द्रीय कल्याण मंत्री, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री उपस्थिति हो तथा पूरे राष्ट्र के लिए एक समान नीति का निर्माण करे।

१३०. यह भी खुले तौर से देखा जाए और अच्छा हो यदि मुख्यमंत्री, संबन्धित मंत्रालयों के मंत्री तथा संबन्धित केन्द्रीय मंत्री पूर्ण विचार विनमय करे जिसके बाद उपरोक्त प्रणीतियों को ध्यान मे रखकर पूरे राष्ट्र के लिए एक अनुकूल नीति उभर कर आए जहां आदिवासी भूमि मे खनिज एक राष्ट्रिय सम्पदा के रूप मे पाए गए हैं।

‘समता’

हैदराबाद

अक्टूबर, २००२